	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 21, सोमवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 12, 2022 *Agrahayana 21 Monday , Saka 1944- December 12, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-।।

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 07, 2022

जी.एस.आर.111 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम और विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) (IVth संशोधन) नियम और विनियम, 2022 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6क का प्रतिस्थापन.- राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम और विनियम, 1999 के विद्यमान नियम 6क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.-** (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और इन नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग की, तथा यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के, अध्यधीन रहते हुए,-

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.01.1972 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाई/आतंकवाद के विरुद्ध संक्रियाओं सहित किन्हीं रक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा युद्ध हताहत के रूप में घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.04.1999

को या उसके पश्चात् किसी घटना में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और सशस्त्र बलों के संबंधित मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारीरिक हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके; और

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों/आतंकवाद के विरूद्ध संक्रियाओं सहित किन्हीं रक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और गृह/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामरिक कार्यवाही में हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;

भर सकेगा:

परन्तु,-

(क) यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(ख) यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत या स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक की विधवा/विधुर या आश्रित तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उसे रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे आश्रित या अन्य आश्रितों में से किसी को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक की मृत्यु या कार्मिक के स्थायी रूप से अशक्तता के समय, आश्रितों में से कोई भी एक पहले से ही केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन पहले से ही नियमित रूप से नियोजित हो:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां अशक्त व्यक्ति या विधवा/विधुर स्वयं अपने लिए रोजगार चाहता/चाहती है।

(3) स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/ऐसा आश्रित, नियुक्ति के लिए आवेदन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक के संबंधित अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय/सेवा मुख्यालयों को, सत्यापन हेतु प्रक्रम करेगा। सामान्य भर्ती नियमों के शिथिलीकरण के अन्तर्गत आवेदन पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए विचार किया जायेगा कि, संबंधित सेवा मुख्यालय/अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय सम्यक् रूप से सत्यापित करेंगे और आवेदक किसी

पद-विशेष के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव और आयु सीमा को पूर्ण करता हो तथा सरकारी सेवा के लिए अन्यथा भी अर्हित हो।

(4) उपरोक्त उप-नियम(3) में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् ऐसे आश्रित/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को, स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/आश्रित द्वारा धारित अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए, अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में, आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन जिलों में से किसी में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो संभागीय आयुक्त द्वारा आवेदन कार्मिक (क-2) विभाग को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) आवेदन में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

(क) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम;

(ख) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने से पूर्व सेवाएं दे रहा था/थी;

(ग) युद्ध हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ उसकी मृत्यु की तारीख और स्थान;

(घ) स्थायी अशक्तता प्रमाणपत्र (नि:शक्तता प्रमाणपत्र); और

(ङ) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हताएं और मृतक/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक (युद्ध हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत) के साथ उसका सम्बन्ध।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) **"सशस्त्र बलों"** से भारत संघ की थल सेना, नौसेना और वायु सेना अभिप्रेत हैं।

(ii) **"केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)"** से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बतीय सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफिल्स, सहस्त्र सीमा बल अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

(iii) "**भारतीय तटरक्षक"** से भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत बल अभिप्रेत है।

(iv) "आश्रित" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(क) पति/पत्नी; या

(ख) पुत्र/सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक द्वारा उसकी मृत्यु/स्थायी अशक्तता के समय से पूर्व, दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र; या

(ग) अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री, विधवा पुत्री/विच्छिन्न विवाह पुत्री जो सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ),

भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक पर, पूर्ण रूप से आश्रित है; या

(घ) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का कोई भी अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं हो; या

(ङ) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त अविवाहित कार्मिक के मामले में, माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन।

टिप्पण: "दत्तक पुत्र/पुत्री" से हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम,1956 के अधीन वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है। हिन्दू धर्म से भिन्न धर्म वाले आश्रितों के लिये, मामला आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(v) **"स्थायी रूप से अशक्तता"** से ऐसा सिपाही/व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यूनतम 40% नि:शक्त है और जिसे थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) या, यथास्थिति, भारतीय तटरक्षक के संबंधित अनुमोदन और पुष्टि करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्थायी रूप से अशक्त घोषित किया गया है।"

[सं. एफ. 5(1)डीओपी/ए-II/18 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
रामनिवास मेहता,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.II
NOTIFICATION
Jaipur, December 07, 2022

G.S.R.111 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules and regulations further to amend the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, namely:-

1**. Short title and commencement.-** (1) These rules and regulations may be called the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) (IVth Amendment) Rules and Regulations, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 6A.- The existing rule 6A of the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, shall be substituted by the following, namely;

"Compassionate appointment of dependents of the deceased / permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard :- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies subject to fulfillment of the educational qualifications and other service conditions prescribed under these rules with the concurrence of Department of Personnel and the Rajasthan Public Service Commission, if the post falls within the purview of the Commission, of the,-

(i) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Armed Forces who was or is a bonafide resident of the State and died/dies or became/becomes permanently incapacitated on or after 01.01.1972, in any defence operations including counter insurgency/counter terrorism operations and declared Battle Casualty by the Ministry of Defence, Government of India;

(ii) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Armed Forces who was or is a bonafide resident of the State and died/dies or became/becomes permanently incapacitated in any incident on or after 01.04.1999 and declared Physical Casualty by the Competent Authority of respective Headquarters of the Armed Forces; and

(iii) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard who was or is a bonafide resident of the State and died/ dies or became/becomes permanently incapacitated on or after 01.04.1999 in any defence operations including counter insurgency/ counter terrorism operations and declared Operational Casualty by the Ministry of Home / Defence, Government of India:

Provided that,-

(a) the permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard who are capable of and desirous of obtaining employment for themselves under the State Government then the employment shall be given to them.

(b) the widow/ widower or the dependent of deceased or permanently incapacitated personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard are not in a position to take up employment immediately, employment will be given to them on acquiring of eligibility.

(2) Appointment shall not be given to such dependent or any of the other dependents of the Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard, if any one of the dependents is already employed on regular basis under the Central Government, any State Government or Statutory Board /Organization / Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central or any State Government at the time of death of personnel or permanent incapacitation of personnel of Armed Forces, Central Armed Police Force (CAPF) and Indian Coast Guard:

Provided that this condition shall not apply where the incapacitated person or widow / widower seeks employment for himself/ herself.

(3) Permanently incapacitated personnel / such dependent shall submit an application for the appointment to Zila Sainik Kalyan Adhikari and the Zila Sainik Kalyan Adhikari shall process with concerned Record Office/Designated Office/Service Headquarters of the personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard for verification. The application shall be considered in relaxation of the normal recruitment rules subject to the condition that respective Service HQ/Records Office/Designated office duly verifies and the applicant fulfills the academic qualifications, experience and age limit prescribed for a particular post and also otherwise qualified for the Government Service.

(4) After fulfilling conditions mentioned in sub-rule(3) above, the application of such dependent/permanently incapacitated personnel shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment according to the qualifications possessed by the permanently incapacitated personnel /dependent. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any of districts under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, then the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

(5) The application shall contain the following information, namely:-

(a) Name and designation of deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard;

(b) Unit in which he/she was serving prior to death/becoming permanently incapacitated;

(c) Date and place of death with death certificate issued by the Authority competent to declare him/her a Battle Casualty/Operational Casualty/ Physical Casualty ;

(d) Certificate of permanent incapacitation (Disability Certificate); and

(e) Name, date of birth, educational qualifications of the applicant and his/her relation with the deceased/permanently incapacitated personnel (Battle Casualty/Operational Casualty / Physical Casualty).

Explanation: For the purpose of this rule,-

(i) **"Armed Forces"** means the Army, Navy and Air Force of the Indian Union.

(ii) **''Central Armed Police Forces (CAPF)"** means Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police, Central Industrial Security Force, National Security Guard, Assam Riffles, Sashastra Seema Bal, as may be notified by Central or State Government, from time to time.

(iii) **"Indian Coast Guard"** means the force to ensure the security of Indian Coastal Regions and are working under the Ministry of Defence, Government of India.

(iv) **"Dependent"** means,-

(a) Spouse, or

(b) Son/son adopted by the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF), Indian Coast Guard before the time of his/her death/ permanent incapacitation; or

(c) Unmarried daughter/unmarried adopted daughter, widowed daughter/ divorced daughter who is wholly dependent on deceased/ permanent incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF), Indian Coast Guard before his / her death / permanent incapacitation, or

(d) Married daughter, if no other dependents of the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard mentioned in clause (b) and (c) above is available , or

(e) Mother, father, unmarried brother or unmarried sister in case of unmarried deceased/permanent incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces(CAPF) and Indian Coast Guard

Note: "Adopted son/daughter" means legally adopted son/ daughter under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956. For dependents belonging to other than Hindu religion, case will

be referred to Department of Personnel (A-II) for necessary clarification.

(v) **"Permanently incapacitated"** means a soldier / person having minimum 40% disability and who has been declared Permanently incapacitated by the respective Approving and Confirming Medical Authority of Army, Indian Navy, Indian Air Force, Central Armed Police Forces (CAPF) or Indian Coast Guard, as the case may be."

[No. F.5(1)DOP/A-II/18 Pt.]
By Order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.